

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा मध्यप्रदेश

—संसोधित कार्यविभाजन आदेश:—

क्रमांक.....409 /
/दो-1-1/2000

रीवा, दिनांक 01 / 07 / 2025

तहसील मुख्यालय सिरमौर में श्रीमती भारतीय केशरी कश्यम प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर की पदोन्नती प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर के पद पर हो गयी है एवं तहसील मुख्यालय मउगंज में श्री आनंद बागरी तत्कालीन तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज की पदोन्नती होने के फलस्वरूप उनका स्थानांतरण अन्य न्यायिक जिला स्थापना हो गया है। उक्त दोनो न्यायालय वर्तमान में रिक्त है तथा उनके स्थान पर किसी भी न्यायिक अधिकारी की पदस्थापना नहीं हुयी है।

अतः मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा-15 व 21 (4) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में प्रसारित सिविल एवं आपराधिक कार्य विभाजन आदेश क्रमांक-336/दो-1-1/2000 दिनांक 30 अप्रैल 2024 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा:—

1. सरल क्रमांक-50 के स्तम्भ क्रमांक-2 "तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज" में **रिक्त न्यायालय** लेख करते हुए एवं स्तम्भ क्रमांक-3 एवं स्तम्भ क्रमांक-4 (सिविल खण्ड) को पूर्णतः विलोपित किया जाता है।

2. सरल क्रमांक-50-अ के स्तम्भ क्रमांक-2 "चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज" के स्तम्भ क्रमांक-4 की कंडिका क्रमांक-1 के पश्चात् 2 निर्मित करते हुए निम्नलिखित इबारत जोड़ी जाती है:—

2- "माह जनवरी से अप्रैल में रुपये 01 से रुपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण।"

3. सरल क्रमांक-61 के स्तम्भ क्रमांक-2 "प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर" में **रिक्त न्यायालय** लेख करते हुए एवं स्तम्भ क्रमांक-3 एवं स्तम्भ क्रमांक-4 (सिविल खण्ड) को पूर्णतः विलोपित किया जाता है।

4. सरल क्रमांक-63 के स्तम्भ क्रमांक-2 "तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर" के स्तम्भ क्रमांक-4 की कंडिका क्रमांक-3 के पश्चात् 4 निर्मित करते हुए निम्नलिखित इबारत जोड़ी जाती है:—

4- "माह जुलाई से दिसम्बर में रुपये 01 से रुपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण।"

शेष आदेश यथावत रहेगा।

Sd/-

(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

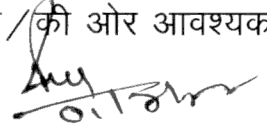
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्र०.....३२३३/
/दो-१-१/२०००

रीवा, दिनांक ०१/०७/२०२५

प्रतिलिपि:-

1. सिविल जिला रीवा की समस्त न्यायालय
रीवा/मउगंज/त्यौंथर/सिरमौर/हनुमना/मनगवां।
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा/मउगंज/त्यौंथर/सिरमौर/हनुमना/मनगवां।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सिस्टम ऑफिसर की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
4. कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा को संबंधित
न्यायाधीशगण के ई-मेल एड्रेस में भेजने हेतु।
5. फाईलिंग काउंटर रीवा/मउगंज/त्यौंथर/सिरमौर/हनुमना/की ओर आवश्यक
कार्यवाही किये जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म०प्र०)